सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003
फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dpswbpl@nic.in

क्रं./सा.सहा./2018/ २१५० भोपाल, दिनांक२६/12/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत
   मध्यप्रदेश।

विषय :- असफल भुगतान हुये प्रकरणों का परीक्षण कर पेंशन पोर्टल पर अपडेशन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रं. 472/2017/26-2 दिनांक 30/06/2017, सा.सहा./2018/289 दिनांक 15/02/2018, सा.सहा./2018/1444 भोपाल दिनांक 09/08/2018 एवं सा.सहा./2018/1546 भोपाल दिनांक 12/09/2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, प्रतिमाह स्थानीय निकायों द्वारा स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के आधार पर पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे पेंशन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाता है।

2. माह अक्टूबर 2018 में 34,637 पेंशन हितग्राहियों को असफल भुगतान हुआ है (जिलेवार असफल भुगतान की संख्यात्मक जानकारी परिशिष्ट – 'अ' पर संलग्न), असफल भुगतान हुये प्रकरणों की सूची ई-मेल के माध्यम से जिला कार्यालयों को प्रेषित की गई है व स्थानीय निकायों को पेंशन पोर्टल पर उनके यूजर प़र भी उपलब्ध कराई गई है।

3. असफल भुगतान के प्रकरणों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि 2,391 ऐसे प्रकरण है जो सितम्बर 2018 की असफल भुगतान की सूची में शामिल नहीं थे, अर्थात् अक्टूबर माह में 2,391 नवीन प्रकरण असफल भुगतान की सूची में आ रहे है, इससे स्पष्ट है कि नवीन स्वीकृति के समय सही बचत खाता नम्बर दर्ज नहीं किया गया है। अत: यह सुनिश्चित करें कि नवीन स्वीकृति के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के आधार पर ही बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड को दर्ज किया जाये, जिससे कि असफल भुगतान नहीं हो।

4. सितम्बर 2018 में 32,246 पेंशन हितग्राही ऐसे है जिनकों अक्टूबर माह में भी असफल भुगतान हुआ है, इससे स्पष्ट है कि असफल भुगतान के प्रकरणों में जनपद पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा संशोधन की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जबकि उक्त संबंध में पेंशन पोर्टल पर संशोधन हेतु संदर्भित पत्रों व विभागीय वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी जिलों को निर्देशित किया गया है।

अत: उपरोक्तानुसार जिन पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का असफल भुगतान हुआ है, उन प्रकरणों में बैंक/पोस्ट ऑफिस की पासबुक के आधार पर बचत खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस. कोड को पेंशन प्रपोजल में अपडेट करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर जनपद पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जाये। यदि किसी पेंशन हितग्राही को बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड में त्रुटि होने के कारण पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होता है अथवा अपात्र या डुप्लिकेट व्यक्ति को पेंशन का भुगतान होता है तो उक्त स्थिति में संपूर्ण जबाबदेही संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व नगरीय निकायों में आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 24/12/2018

पृ.क्र./सा.सहा./2018/ 2191
प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.।
2. समस्त संयुक्त व उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, कृपया स्वयं के स्तर से भी समीक्षा करें।
3. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, संबंधितों से समन्वय कर खातों को अपडेट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

24/12/18
उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.